



भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन

(श्री आदिनाथ-कुन्दकुन्द-कहान दिग्म्बर जैन ट्रस्ट, अलीगढ़ द्वारा सञ्चालित)

तीर्थधाम मङ्गलायतन, आगरामार्ग, निकट हनुमान चौकी, सासनी-204216 (हाथरस) उत्तरप्रदेश

मुख्य कार्यालय : विमलांचल, हरिनगर, अलीगढ़ - 202001 उत्तरप्रदेश Year 2023-24

फोन : 9756633800, 7581060200, 8279559830

E-mail : info@mangalayatan.com

website : www.mangalayatan.com

STUDENT'S
CURRENT
PHOTO

APPLICATION FORM

(FOR 8TH CLASS)

(NOTE: THIS FORM TO BE FILLED BY APPLICANT IN CAPITAL LETTERS ONLY)

(STUDENT'S AADHAR CARD NO.)

1. STUDENT'S NAME: DOB:
2. FATHER'S NAME: EDUCATION:
3. MOTHER'S NAME: EDUCATION: HOME MAKER/SERVICE:
4. RESIDENTIAL ADDRESS:

PIN CODE:

MOBILE NO:

EMAIL (COMPULSORY) :

5. MAILING ADDRESS :

PIN CODE :

MOBILE NO :

6. FATHER'S /GUARDIAN'S OCCUPATION : MONTHLY INCOME (Attach income certificate)

7. DETAILS OF FAMILY MEMBERS :

8. MOTHER TONGUE : OTHER LANGUAGE :

9. CURRENT SCHOOL NAME :

10. BOARD :

11. DETAILS OF CLASS PASSED BEFORE 1 YEAR :

PERCENTAGE : (Attach copy of marksheets)

12. RESULT OF CURRENT YEAR EXAMINATION :

(IF AVAILABLE, OTHERWISE HALF YEARLY EXAMINATIONS MARK SHEET) :

13. SUBJECTS OF RELIGIOUS EXAMINATION: NAME OF PATHSHALA (IF JOINED) :

14. MEDICAL RECORD (CERTIFICATE BY M.B.B.S. DOCTOR IS COMPULSORY) : BLOOD GROUP:

(NOTE: BE CLEAR IN SHARING MEDICAL RECORDS, STUDENT CAN BE AFFECTED DUE TO GEOGRAPHICAL CHANGES AND AS PER SHARED MEDICAL PRESCRIPTION, MEDICINE CAN BE ARRANGED ON TIME)

15. RESOLUTIONS (TYAG) :

16. STUDENT'S SPECIAL INTEREST – SPORTS / ANY OTHER FIELD :

17. WEIGHT : 18. HEIGHT :

19. STUDENT'S PHOTO ALONG WITH HIS PARENTS (3 nos.).

20. STUDENT'S CURRENT PHOTO (NAME AND DATE OF PHOTO IS COMPULSORY)

DATE.....

STUDENT'S SIGNATURE

नोट- (1) कक्षा 7वीं में अध्ययनरत छात्र ही फार्म भर सकता है। (2) 60 प्रतिशत से कम अंकवाले छात्र प्रवेश फार्म नहीं भरें। (3) पिता/संरक्षक आय से सम्बन्धित विवरण यथार्थ भरें। (4) उपरिलिखित जानकारियों के अभाव में फार्म अपूर्ण समझकर निरस्त कर दिया जाएगा। (5) प्राचार्य को विशेष परिस्थिति में साक्षात्कार तिथि बदलने का अधिकार है। (6) लौकिक शिक्षा में अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होता है।

नोट - कृपया फार्म कोरियर / रजिस्टर्ड डाक द्वारा मुख्य कार्यालय वाले पते पर ही भेजें।

भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन के दिशा-निर्देश

छात्र एवं अभिभावकों से निवेदन है कि वे निम्न दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें तथा मन-वचन-काय से स्वीकृति होने पर ही आवेदन करें।

प्रवेश-प्रक्रिया

1. विद्यानिकेतन का सत्रारम्भ प्रतिवर्ष अप्रैल माह से होगा। अतः प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र में अनिवार्य सामग्री/फोटो को अवश्य संलग्न करें।
2. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय छात्र को निश्चित तिथि को बुलाया जायेगा, जिसकी सूचना छात्र/अभिभावक को भेजी जायेगी; उस निर्दिष्ट तिथि को छात्र के साथ अभिभावक को तीर्थधाम मङ्गलायतन में आना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश शिविर में छात्र की पूर्व कक्षा में अध्ययन किये गये विषयों (अंग्रेजी, विज्ञान, गणित) एवं धार्मिक विषयों (बालबोध, भाग 1-2), छहड़ाला प्रथम ढाल कण्ठस्थ की परीक्षा ली जायेगी, जिनमें न्यूनतम 75 प्रतिशत अङ्क लाना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश-प्रक्रिया में आपके लौकिक/धार्मिक परीक्षा-फल, प्रतिभा-सम्पन्नता, आध्यात्मिक रुचि आदि सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा।
5. साक्षात्कार शिविर में आनेवाले छात्रों/अभिभावकों को मार्ग-व्यय नहीं दिया जायेगा।
6. प्रवेश की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित छात्र/अभिभावक को शिविर के अंतिम दिन दी जायेगी; लेकिन स्वीकृति/अस्वीकृति का कारण बताने को संस्था बाध्य नहीं है।
7. लौकिक शिक्षा हेतु स्थानीय शिक्षा संस्थान (डी.पी.एस.) में छात्र की लौकिक परीक्षा होगी, तथा तीर्थधाम मङ्गलायतन में धार्मिक परीक्षा होगी। दोनों परीक्षा में मेरिट के अनुसार ही छात्रों को विद्यानिकेतन में प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष-

1. विद्यानिकेतन में इस वर्ष से प्रवेश लेने वाले छात्रों की लौकिक शिक्षा डी.पी.एस. (विद्यालय की फीस), धार्मिक शिक्षा, भोजन एवं आवास व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी।
2. छात्र को लौकिक परीक्षा में 85 प्रतिशत उपस्थिति एवं 85 प्रतिशत अंक तथा धार्मिक शिक्षा में 90 प्रतिशत उपस्थिति तथा 85 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। तभी छात्र की आगामी कक्षा का अध्ययन पूर्ण निःशुल्क रहेगा अगर छात्र के इससे कम अंक एवं उपस्थिति होती है तो अभिभावक को आगामी कक्षा (लौकिक शिक्षा) की पूर्ण फीस जमा करनी होगी।
3. लौकिक शिक्षा हेतु कॉपी, किताब, स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस, पंजीकरण शुल्क और प्रवेश शुल्क आदि की व्यवस्था अभिभावक को करनी होगी।
4. विद्यानिकेतन में प्रवेश लेनेवाले छात्रों को 51000/- (इक्यावन हजार) रुपये सिक्यॉरिटी डिपॉजिट के रूप में एकमुश्त जमा करवानी होगी, छात्र का विद्यानिकेतन से अध्ययन पूर्ण हो जाने (पाँच वर्ष बाद) पर जमा राशि 51000/- (बिना ब्याज) अभिभावक को लौटा दी जायेगी।
5. छात्र द्वारा विद्यानिकेतन में किसी भी समान की क्षति होती है, तो उस सामान सम्बन्धित खर्च छात्र की सिक्यॉरिटी डिपॉजिट से लिया जायेगा।
6. बीमार छात्र का प्रवेश निषिद्ध है, अगर कोई छात्र अपनी बीमारी छिपाता है तो उसे बीच सत्र में वापिस घर भेज दिया जावेगा एवं सिक्यॉरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं की जायेगी।
7. विद्यानिकेतन के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को छात्र द्वारा किसी भी परिस्थिति में पूर्ण न करने पर (लौकिक शिक्षा / हेतु / पारिवारिक कारण / बीमारी / अन्य) छात्र द्वारा विद्यानिकेतन के नियम उल्लंघन किए जाने पर, यदि छात्र को विद्यानिकेतन द्वारा निष्कासित किए जाने कि स्थिति में सिक्यॉरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं की जायेगी।
8. लौकिक एवं धार्मिक शिक्षा दोनों में छात्र के 60 प्रतिशत से कम अंक आने पर छात्र को विद्यानिकेतन से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं सिक्यॉरिटी डिपॉजिट वापिस नहीं की जायेगा।
9. सीबीएसई परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिताओं का शुल्क अभिभावक को देय होगा।

आवश्यक-नियम

1. छात्र को लौकिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यानिकेतन द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. छात्र को लौकिक शिक्षा हेतु चयनित स्थानीय शिक्षा संस्थान के दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा, उसमें विद्यानिकेतन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा।
3. विद्यानिकेतन में सञ्चालित धार्मिक कक्षाओं की वार्षिक / अद्वार्षिक / मासिक / सामयिक परीक्षाएँ ली जायेंगी। जो छात्र इनमें असफल होंगे, उन्हें आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. छात्र की लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में अथवा अन्य प्रसंगों पर आनेवाली कानूनी अङ्गचानों को दूर करने की जिम्मेदारी छात्र तथा उसके अभिभावक की होगी।
5. अध्ययन में असमर्थ होने पर या बारम्बार अस्वस्थ होने पर अथवा विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करने पर छात्र को विद्यानिकेतन से निष्कासित भी किया जा सकता है, इसकी सूचना अभिभावकों को दे दी जायेगी।
6. छात्र को विद्यानिकेतन में अभश्य भक्षण, बिना छना जलपान, रात्रि-भोजन एवं सप्त व्यसनों का त्याग करना और सामान्य अष्ट मूलगुणों को धारण करना आवश्यक है। छात्र को सम्पूर्ण शिक्षाकाल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
7. छात्र को अधीक्षक के निर्देशन में सभी प्रकार के कार्य अपने हाथों से करने होंगे, जिससे वह प्रत्येक कार्य करने में कुशलता प्राप्त कर सके।

8. विद्यानिकेतन में छात्र को निर्धारित दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्र को अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छा से स्थान-परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
10. छात्र स्वयं अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखेंगे तथा स्नान-गृह, गैलरी आदि में भी स्वच्छता बनाये रखेंगे। तथा यदि इन स्थानों पर किसी भी समान की क्षति होती है, तो उसका दण्ड छात्र को दिया जाएगा।
11. छात्र को अपने पास तथा अपने कमरे में रखनेवाले समान की सूची अधीक्षक को देनी होगी।
12. कोई भी छात्र नकदी या अन्य सामान अपने पास नियमानुसार ही रखेगा, अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। छात्र को नकदी आदि जोखिम, कार्यालय में जमा करकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए।
13. छात्र को विद्यानिकेतन के द्वारा दिये गये उपकरणों के अलावा बिजली का हीटर, सिंगड़ी, रेडियो, वाकमैन, कैमरा, वीडियो-गेम, मोबाइल, कार्डरीडर, पेनड्राइव, ईयरफोन आदि का उपयोग करना निषिद्ध है तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
14. सत्र के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। विद्यानिकेतन द्वारा अप्रैल से मार्च के सत्र में 20 दिन का अवकाश दिया जायेगा। स्वयं के परिवार के खास सदस्यों में से किसी का विवाह या मृत्यु प्रसंग पर 5 दिन का अवकाश नियमानुसार स्वीकृत है। अवकाश में विलम्ब से आने, तीर्थयात्रा, विवाह आदि में अतिरिक्त अवकाश लेने पर वह अवकाश काटे जायेंगे।
15. छात्र को घर या अन्यत्र बाहर जाने हेतु अधीक्षक की एवं विद्यालय की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई छात्र बिना सूचना दिये विद्यानिकेतन से बाहर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी; उसके लिए स्वयं छात्र एवं उसके अभिभावक जिम्मेदार माने जायेंगे तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
16. अभिभावक बार-बार टेलीफोन करके छात्र से बात न करें। फोन पर अधिक समय तक बात न करें। यदि कोई विशेष समाचार हो तो अभिभावक कार्यालय में अधीक्षक अथवा निदेशक को सूचित करें। प्रत्येक छात्र को सप्ताह में एक दिन निर्धारित दिवस पर 05 मिनट हेतु फोन पर बात करने का अवसर दिया जायेगा।
17. अभिभावक को वर्ष में दो बार अथवा तीन बार सूचनानुसार विद्यानिकेतन में अभिभावक मीटिंग में एवं दीपावली पर्व के अवसर पर आना जरूरी है।
18. कुशाग्र-बुद्धि वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों के अध्यापन कार्य में नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें सहयोग करना प्रत्येक वरिष्ठ छात्र का कर्तव्य होगा।
19. छात्र को शिविर या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु बाहर भेजा जा सकता है, जिसका पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा। उच्च कक्षाओं को धार्मिक अध्यापन-शिविर आदि में धार्मिक प्रभावना हेतु संस्था द्वारा भेजा जायेगा।
20. विद्यानिकेतन में रहनेवाले छात्रों की वेशभूषा सामान्य कुर्ता-पायजामा (संग-डिजाइन रहित) निर्धारित है; अतः छात्र को स्कूल के अलावा मंदिर में उक्तवेशभूषा में ही रहना अनिवार्य है।
21. छात्र को किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ (नाश्ता) रखना निषिद्ध है।
22. छात्र को अवकाश लेते समय; स्वयं अभिभावक को अथवा किसी अन्य के द्वारा बुलाने पर लिखित स्वीकृति पत्र देना अनिवार्य है। अन्यथा छात्र को अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
23. छात्र को अवकाश हेतु घर से निर्धारित तिथि तक विद्यानिकेतन पहुँचना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।
24. छात्रों को विद्यानिकेतन के कमरे में किसी भी प्रकार की गन्दगी एवं सामान की क्षति होने पर उस कमरे के सभी छात्रों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
25. छात्र को वरिष्ठ व कनिष्ठ छात्रों के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना होगा।
26. विद्यानिकेतन एवं ट्रस्ट द्वारा छात्रों को यथासंभव सुविधा साधन ही उपलब्ध कराये जायेंगे।
27. छात्र का विद्यानिकेतन में प्रवेश पाने पर रजाई-कंबल, 2 प्लेन बेडसीट, 1 तकिया 2 कवर सहित, आदि दैनिक उपयोग की सामग्री स्वयं लानी होगी।

छात्र द्वारा शपथ पत्र

भगवान् श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन में प्रवेश हेतु मैं..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी सही है। मैंने विद्यानिकेतन एवं लौकिक विद्यालय के दिशा-निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं इन नियमों का तथा समय-समय पर संशोधित, संवर्द्धित व परिवर्तित नियमों तथा अन्य सूचनाओं का अवश्य पालन करूँगा। यदि मैं विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करूँ या संस्था के हित में बाधक समझा जाऊँ या धार्मिक / लौकिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहूँ तो मुझे संस्था द्वारा जो भी दण्ड दिया जायेगा, वह स्वीकार्य होगा। कृपया मुझे विद्यानिकेतन में प्रवेश देकर अनुगृहीत करें।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर छात्र

पिता/संरक्षक का स्वीकृति-पत्र

1. यह छात्र लौकिक रिश्ते में पिता का नाम मेरा है।
2. मैंने भगवान् श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन के सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। मुझे विद्यानिकेतन के सम्पूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से इस छात्र को आपके यहाँ प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र ने आवेदन-पत्र स्वयं भरा है तथा छात्र द्वारा दी गयी सम्पूर्ण जानकारी सही है। मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वस्त करता हूँ कि यह छात्र (नाम) आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों, सूचनाओं तथा अनुशासन का अवश्य पालन करेगा। यदि वह कोई नियम-विरुद्ध कार्य करता है तो अधिकारियों द्वारा दिया गया दण्ड उसे मान्य होगा। छात्र की उचित-अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मैं/हम पूर्णतः जिम्मेदार हैं/हूँ।

छात्र के स्थायी पते पर रहनेवाले अभिभावक का अलीगढ़/अलीगढ़ के समीप में रहनेवाले अभिभावक का पता (अगर हो तो)
नाम..... नाम.....
पता..... पता.....
.....
मोबाइल..... मोबाइल.....
ई-मेल (Capital letter) ई-मेल (Capital letter)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

छात्र के सम्बन्ध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता/संरक्षक ने जो ऊपर लिखा है, वह सही है। यह छात्र भगवान् श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन में प्रविष्ट होने योग्य है।

1- नाम.....
पता.....
मोबा. :.....
ई-मेल (Capital letter)

2- नाम.....
पता.....
मोबा. :.....
ई-मेल (Capital letter)

हस्ताक्षर/मुहर

हस्ताक्षर/मुहर

नोट - आपके नगर के दो मुमुक्षुओं के (प्रमुख) हस्ताक्षर एवं मुहर।

कार्यालय के उपयोग हेतु

उक्त छात्र (नाम) का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा उसको भगवान् श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन की कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर अधीक्षक
दिनांक.....

हस्ताक्षर प्राचार्य
दिनांक.....

हस्ताक्षर निदेशक
दिनांक.....

भगवान् श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन
तीर्थद्याम मञ्जलायतन
अलीगढ़-आगरा मार्ग, सासनी-204216 (हाथरस) उत्तरप्रदेश